JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

''महिला सशक्तिकरण में उद्यमिता की भूमिका''

दीक्षा साहू शोधार्थिनी

प. जे. एन. पी. जी. कॉलेज बॉदा बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी

डॉ. दिव्या सिंह सह आचार्या

प. जे. एन. पी. जी. कॉलेज बॉदा बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी

सारांश–

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं द्वारा शक्ति और संसाधनों के अधिग्रहण से है ताकि वे अपने बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके और दूसरों द्वारा लिये गये गलत निर्णयों के खिलाफ आबाज उठा सके। प्रस्तुत लेख में ''महिला सशक्तिकरण में उद्यमिता की भूमिका क्या है? तथा उद्यमी महिला के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है तथा महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभों को दिखाने का प्रयास किया गया है।

Keyword- सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, उद्यमिता

प्रस्तावना– भारतीय समाज की पृष्ठभूमि में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक एवं सर्वोच्च रही है। भारतीय समाज के सन्दर्भ में इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ वह बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है, कही वह बहन बनकर भईयों से लाड–प्यार करती है, कभी वह पत्नी बनकर पति साथ देती हैं, कभी मां बनकर बच्चो का पालन पोषण करती है, बड़े होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होता और वह दादी–नानी बनकर गरिमा पूर्ण जीवन जीती हैं। हमारे आदि ग्रन्थों में नारी के महत्व को मानते हुये यहाँ तक बताया गया है कि

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है।

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात मानव जाति का अस्तित्व स्त्री से ही है। इस सर्जनकर्ता की शक्ति विकसित और परिष्कृत करने की आवश्यकता है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, न्याय और अवसर की समानता के अवसर प्रदान करके स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें रोजगार शिक्षा और आर्थिक प्रगति में समान अवसर मिल सके।

उद्यदेश्य–

प्रस्तुत लेख के उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में उद्यमिता की भूमिका का विश्लेषण करना है। महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्म विश्वास का संचार करना है। महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के संबंध का अध्ययन करना है। देश के विकास के लिये महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सृजनकर्ता है। भारत में महिलाओं के आर्थिक विकास में चलाई जा रही योजनाओं का अध्ययन करना है। महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना है।

पाठ परिचर्चा– महिला सशक्तिकरण के आधारों में आर्थिक सशक्तिकरण के आधार को प्रथम पक्तिं में रखा जा सकता है। जब तक महिलाये आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं होगी, महिला सशक्तिकरण केवल सैन्द्धतिक और चर्चा का विषय बना रहेगा। प्रश्न है? कि आखिर महिलायें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी कैसे बनेगी? प्रश्न के उत्तर में अनेको सुझाव एवं योजनाएं है जिसमें उपयुक्त सुझाव 'महिला उद्यमशीलता है। यदि कोई महिला आर्थिक रूप से सशक्त है, तो उसके लिये सामाजिक रूप से सशक्त बनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है लेकिन सिर्फ इसलिये कि महिलाए काम करती है इसका मतलब यह नहीं है कि वे सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त हो गई है। क्योंकि संसाधनों का स्वामित्व अभी भी पुरूषों के हाथों में है। इस प्रकार काम में महिलाओं की भागीदारी एक आवश्यक शर्त है, कि वित्तीय संसाधनों सहित सभी संसाधनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। महिला उद्यमिता के माध्यम से ही यह मुकाम हासिल कर सकती है। वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से एक उद्यमी महिला एक कार्यकारी महिला की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि स्वामित्व न केवल उसे परिसम्पत्तियों और देनदारियों पर नियंत्रण देता है बल्कि उसे अधिक स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। इससे उसकी सामाजिक स्थिति बढ़ती है। इसमें वह न केवल अपने लिये आय अर्जित करती है बल्कि अपने आस–पास की अन्य महिलाओं के लिये भी रोजगार के अवसर खोलती है। 06.08.1991 को संसद में पारित लघु, अति सुक्ष्म और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत उपायो में यह उल्लेख किया गया कि महिला उद्यमो की परिभाषा को सरल बनाया जायेगा। तदनुसार महिला उद्यमी को एक लघु औद्योगिक ईकाई/उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रबंधन सेवा या व्यवसाय उद्यम में संलग्न है, जिसका स्वामित्व एक या एक से अधिक महिला उद्यमियों के पास है या जिसमें उनकी व्यक्तिगत रूप से या किसी निजी कम्पनी/सहकारी समिति के सदस्य के रूप में भागीदारी/शेयर धारक के रूप में संयुक्त रूप से 51% प्रतिशत से कम पूंजी की हिस्सेदारी नहीं है। मानव संसाधन के विकास के लिये 'महिला उद्यमिता' एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता के विकास के लिये बहुत कम अवसर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं में उद्यमशीलता चिंता का प्रमुख क्षेत्र रहा है। आज महिलायें अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो गई है। जिसका असर उनके अधिकारों और उनकी कार्य स्थितियों पर पड़ रहा है लेकिन वे अपनी भूमिका बदलने के लिये उतनी उत्सुक नहीं है। जितनी अपेक्षित है, मध्यम वर्ग की महिलाओं में यह ज्यादा स्पष्ट है ऐसा सामाजिक प्रतिशोध के डर के कारण ज्यादा होता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में उच्च वर्ग के परिवारों में यह प्रगति ज्यादा दिखाई देती है। 1991 में मध्य से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हुये है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई आर्थिक उदारीकरण, वैश्णीकरण और निजीकरण की नई नीतियों के साथ।

भारत में उद्यमशीलता की प्रबल संभावना है। इसे आर्थिक गति विधियों में महिलाओं की कार्य सहभागिता पर, कम कौशल वाली नौकरिये में उनकी उच्च भागीदारी और असंगठित क्षेत्र में रोजगार द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। आर्थिक विकास के उद्देश्य से बनाई गई कोई भी रणनीति महिलाओं को शामिल किये बिना एक तरफा होगी, क्योंकि महिलाएं विश्व की लगभग आधी आबादी है। यह एक स्थापित तथ्य है कि उद्यमशीलता की भावना पुरूषों का विशेषाधिकार नहीं है। पिछले तीन दशकों में महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह औद्योगिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक

विकास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकि नवाचार और विनिर्माण नियति में उद्यमो और उनके महत्वपूर्ण योगदान से प्रेरित है। इस परिवर्तन से उद्यमियों के लिये आर्थिक और सामाजिक अवसरों की एक विस्तृत श्रंखला उपलब्ध हुई है। इस गतिशील दुनिया में, महिला उद्यमी स्थायी आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की वैश्विक खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यद्यपि भारत में महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन समाज में उनकी स्थिति के कारण उनकी उद्यमशीलता क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। यह स्थिति पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के बाद स्पष्ट हो गई, जिसमें महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव आया तथा महिलाओं को विकास और सशक्तिकरण के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई। महिलाओं के विकास के लिये अनेक नीतियों और कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। भारत में उद्यमिता के विकास के लिये उन्हें संविधान में निहित समान अधिकार देने की आवश्यकता है। भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है और इसका एक कारण नीतिगत प्रतिबद्धताओं के साथ धन का मिलान न हो पाना भी है। पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार ''महिलाओं को सशक्त बनाकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, जब समाज द्वारा स्थिरता के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण उनके विचारों और उनके मूल्य प्रणाली के अनुसार आवश्यक है। इससे अच्छे विकास, अच्छे परिवार, अच्छे समाज, और अंतः एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। जब समाज द्वारा स्थिरता के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण उनके विचारों और उनके मूल्य प्रणाली के अनुसार आवश्यक है। इससे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। जब एक महिला सशक्त होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुरूष शक्तिहीन हो जाता है। बल्कि इसके विपरीत एक महिला को अपने निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि उससे परिवार के व्यवहार को प्रभावित करती है। जो कि उसका अधिकार है। इसे भारत का सौभाग्य ही कहा जायेगा कि आज ज्ञान क्रान्ति के माध्यम से देश को दुनिया में स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं पूरे भारत में ज्ञान क्रान्ति लाकर, देश को संसाधन सम्पन्न बनाकर, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण के जाल में फंसी देश की आधी आबादी के जीवन स्तर को सुधाकर हम उन्हें यह अहसास कराना चाहते है कि सरकार उनके दुख–दर्द को दूर करने और उन्हें बेहतर नागरिक बनाने के लिये प्रतिबद्ध है केन्द्र सरकार ज्ञान क्रान्ति, सूचना संचार, प्रौद्योगिक नीतियों भारत निर्माण जैसी परियोजनाओं को लागू करके समाज सभी वर्गो, विशेषकर दलितों, अल्पसंख्यकों आदिवासियों आदि के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है जो विकास की छाया से अछूते है।

<u>निष्कर्ष एवं सुझाव</u>– आज महिलाए व्यवसाय स्वामित्व की दिशा में कई कदम उठा रही है। व्यवसाय स्वामियों के रूप में महिलाओं का व्यापक वर्गीकरण, व्यवसाय स्थापित करने वाली, विरासत में प्राप्त करने वाली या अधिग्रहण करने वाली महिलाऐं, पति या व्यवसाय सहयोगियों के साथ व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाए जो या तो सबसे आगे है या पर्दे के पीछे और व्यवसाय शुरू करने वाली या व्यवसाय का स्वामित्व रखने वाली महिलांए, कम्पनियों की संख्या को तेज या धीमी गति से बढा रही है। हालांकि, महिला उद्यमिता पर शोध से पता चला है कि महिला और पुरूष उद्यमियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। महिला उद्यमियों को कार्य करने तथा अनुभव के साथ–साथ रोजगार को बढ़ाने में प्रबल सफलता मिल रही है। महिलाएं आमतौर पर अपने व्यवसाय को अपने परिवार और समुदाय के साथ संबंधों के एक सहकारी नेटवर्क के रूप में देखने के बजाय एक विशिष्ट लाभ कमाने वाली संस्था बनाने पर ध्यान केन्द्रित है। महिलाएं व्यवसाय मालिकों में बहुसंख्यक है, जबकि वे गैर–सेवा क्षेत्र के उद्यमों में भी काम करती है। महिलाएं न केवल अपने लिए आर्थिक स्वतन्त्रता और धन अर्जित कर रही है बल्कि वे दूसरों विशेषकर अन्य महिलाओं के लिए भी अवसर प्रदान कर रही है। अनेको शोधों से पता चला है कि पुरूष कर्मचारी–स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या महिला कर्मचारी–स्वामित्व वाले उद्यमों से अधिक है, हालांकि महिला व्यवसाय स्वामित्व के इनमें शामिल होने की सम्भावना अधिक होती है। महिला उद्यमी सक्रिय उद्यमिता में प्रवेश करने को असमर्थ है, क्योंकि उन्हें नियंत्रित रोजगार, लचीलेपन, नियंत्रण या व्यवसाय स्वामित्व द्वारा प्रदान किये गये

गैर–संचालन के संदर्भ में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रेरणा की कमी के कारण महिलाएं व्यवसाय स्वामित्व में वांछित प्रगति नहीं कर पा रही है। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सशक्त कानून है, जिनकी संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है तथा उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। उद्यमशीलता गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी को बढावा देने के लिए वित्तीय पूंजी की आवश्यकता है क्योंकि अच्छी आर्थिक स्थितियों कम मात्रा में उपलब्ध है और बैंक ऋण का अनुपात अधिक है महिला उद्यमिता के स्तर बढ़ाने के लिए सकारात्मक आर्थिक स्थितियों की आवश्यकता है, शिक्षा के स्तर में वृद्धि उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ व्यवसाय शुरू कर रही है बल्कि शिक्षा और कौशल वाली महिलाएं अवसरों का लाभ उठा रही है। महिला उद्यमियों के बारे में जानकारी के खुलेपन की कमी है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की कार्य भागदारी की दर कम है।

संदर्भ सूची–

➢ कृपाल, अविनाष. (2017), महिला उद्यमी, नई दिल्लीः एस.ए.जी.ई. पब्लिकेशन्स।

– गुर्जर, डॉ0 सीता. (2015). महिला सशक्तिकरण. नई दिल्लीः हिमांशु पब्लिकेशन्स।

– बडेहरा, किरण और कोरेथ, जार्ज (2017). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण नई दिल्लीः एस.ए.जी.ई. पब्लिकेशन्स।

– मिश्र, कलराज (2020), भारत में उद्यमिताः दिल्ली प्रभात प्रकाशन।

– कोठारी, डॉ0 मिलिन्दा (2016), उद्यमिता विकास,: नई दिल्ली; रमेश बुक डिपो जयपुर।

– माथुर, डॉ0 एस0पी0 (2010) भारत में उद्यमिता विकास, मुम्बईः हिमालया पब्लिसिंग हाउस।

– नलिनी, (2012), ''गोरखपुर जनपद में महिला उद्यमिता विकास का एक अध्ययन; गृह उद्योगों के विशेष संदर्भ में'' प्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्धन, वाणिज्य विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)।

– आहुजा, राम (2017), सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।